आनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया

1– ड्राइविंग लाइसेंस अथवा लर्नर लाइसेंस के आवेदन हेतु सर्वप्रथम आवेदक को www.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।

2– वेबसाइट ओपेन होने के उपरान्त आवेदक को दिये गये मेन्यू में **Online Services** को क्लिक करना होगा, जिसमें **Driving License Related Services** को सेलेक्ट करना होगा।

3– इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आवेदक को अपने राज्य का चयन करना होगा। जैसे–उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश राज्य का चयन करनाहोगा।

4– इसके उपरान्त एक नया पेज खुलेगा जिसमें पेज के बांये तरफ **Apply Online** के मेन्यू पर क्लिक करने के उपरान्त कतिपय Option आएंगे–

- यदि पहली बार ड्राइविंग लाससेंस बनवा रहें हो तो **New Learners Licence** पर क्लिक करना होगा।
- यदि Learners License बनवा चुके हैं तो **New Driving License** पर क्लिक करना होगा।
- यदि ड्राइविंग लाइसेंस में **Renewal / Duplicate** तथा पता परिवर्तन कराना हो तो**Services on Driving Licence** पर क्लिक करना होगा।

5– इसके उपरान्त एक नया पृष्ठ खुलेगा, जिसमें यदि आवेदक पहली बार आवेदन कर रहा है तो उसको **Proceed** बटन पर क्लिक करना होगा।

(यदि आवेदक के पास पहले से कोई ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर्स लाइसेंस है तो लर्नर्स लाइसेंस अथवा ड्राइविंग लाइसेंस की प्रवष्टि दर्ज करके **Proceed** बटन पर क्लिक करना होगा)

6– ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदक को निम्न चार प्रक्रियाएं पूर्ण करनी होंगी–

i. आवेदन फार्म को पूर्णतयः भरना होगा।
ii. आवश्यक दस्तावेज जैसे–जन्मतिथि का प्रमाणपत्र तथा निवास प्रमाणपत्र की प्रति को अपलोड करना होगा।
iii. आवेदक को अपनी फोटो व सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
iv. आनलाइन माध्यम से फीस का भुगतान करना होगा।

v. तत्पश्चात RTO / ARTO Office में लाइसेंस टेस्ट हेतु तिथि व समय का चयन करना होगा।

7– उपरोक्त चारों चरणों के पूर्ण होने के उपरान्त आवेदन स्वीकार कर लिया जायेगा तथा एप्लीकेशन नम्बर जारी कर दिया जायेगा।

8– चयनित तिथि व समय पर मूल दस्तावेजों के साथ तथा आनलाइन भरे गये फार्म की प्रति के साथ संबंधित आरटीओ कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

9– आरटीओ कार्यालय में प्रपत्रों का मिलान, फोटो व सिग्नेचर कैप्चर करवाने की प्रक्रिया के उपरान्त लाइसेंस टेस्ट (लर्निंग लाइसेंस के आवेदन की दशा में कम्प्यूटरीकृत लिखित परीक्षा व स्थाई लाइसेंस की दशा में वाहन चालन परीक्षण) में प्रतिभाग करना होगा।

10– लाइसेंस टेस्ट में पास होने के उपरान्त लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस का अप्रूवल कर दिया जाएगा।

11– लाइसेंस टेस्ट में पास हो जाने के उपरान्त शिक्षार्थी लाइसेंस की दशा में आवेदक को मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ.टी.पी. से शिक्षार्थी लाइसेंस आनलाइन प्रिंट प्राप्त करेगा

12– स्थायी लाइसेंस परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ से स्मार्ट कार्ड पर प्रिंट होकर आवेदक के पते पर डाक द्वारा भेजा जायेगा।

आवेदन के समय बरती जाने वाली सावधानियां–

- आनलाइन आवेदन के समय आवेदक को अपना स्वयं का क्रियाशील मोबाइल नम्बर दर्ज करनो अनिवार्य है, जिससे लाइसेंस संबंधी समस्त प्रक्रिया से आवेदक को मैसेज के माध्यम से अवगत कराया जा सके।
- आवेदक सिर्फ अपना मोबाइल नम्बर दर्ज करे, किसी अन्य का नहीं।
- लर्नर्स लाइसेंस को आवेदक स्वयं घर बैठे प्रिंट कर सकता है। लर्नर्स लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आरटीओ कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।
- स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के अप्रूवल के पश्चात परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ से लाइसेंस प्रिंट कर लाइसेंस धारक को स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किये जाते हैं, अतः लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अपना सही व पूर्ण पता (सही पिनकोड के साथ) आवेदन पत्र में अंकित करें।
- ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए विभागीय हेल्प लाइन नंबर–1800–1800–152 पर संपर्क करें।